न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा
पीठासीन : आदि देव
जमानत आवेदन संख्या–687 / 2026
(मो0 एहसानुल्लाह उर्फ लाडले बनाम राज्य सरकार)

1. मो0 एहसानुल्लाह उर्फ लाडले पे0 मो0 ताहिर.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार..... विपक्षी

आवेदक की ओर से : मो0 मुर्शिद अंसारी, विद्वान अधिवक्ता

विपक्षी (राज्य) की ओर से : श्री अमरेन्द्र नारायण झा, विद्वान लोक अभियोजक

आ दे श

29.07.2026 1. काराधीन आवेदक **मो0 एहसानुल्लाह उर्फ लाडले** की ओर से जमानत आवेदन सुनवाई हेतु प्रस्तुत। आवेदक को **सिंघवाड़ा थाना काण्ड सं. 153 / 26** बी0एन0एस0 की **धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109(1), 303(2), 324,(4), 329(4), 190, 191(2), 191(3), 352, 351(2)** [विद्वान ए0सी0जे0एम0, सप्तम, दरभंगा के न्यायालय में लम्बित] में अभियोजित किया गया है।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

3. सूचिका सुल्ताना प्रवीण के अनुसार घटना यह है कि दिनांक 14.05.2026 को समय रात्रि करीब 8.30 बजे मो0 एहसानुल्लाह उर्फ लाडले ने सूचिका के घर में घुसकर धारदार तलवार से सूचिका के सिर पर वार किया। उसके बाद मो0 जमानुल्लाह उर्फ अच्छे, मो0 अताउल्लाह उर्फ तौहिर के साथ मो0 ताहिर, समीला खातून, नाहीदा खातून उर्फ जेबा, नाहीदनाज उर्फ आलिया शेख सभी अभियुक्तगण लाठी डंडा एवं लोहे का रॉड लिये सूचिका के घर में घुस गये। मो0 जमानुल्लाह ने सूचिका के कंधा पर तलवार से वार दिया। मो0 एहसानुल्लाह ने तलवार से वार कर सिर काट दिया। जिससे काफी खून बहने लगा। बचाने आये सूचिका के बेटे को जमानुल्लाह ने तलवार से हाथ पर वार किया, जिससे उसका हाथ थोड़ा कट गया। उक्त अभियुक्तगण ने सूचिका को बेहोशी की स्थिति में पुनः लाठी डंडा से वार किया। सूचिका के गले से सोने का चैन 10 ग्राम, एवं सोने का अंगुठी 3 ग्राम एवं घर से 15000 रूपया लेकर भाग गया। जब सूचिका के पति उसे ईलाज के लिए हॉस्पीटल ले गये तो मो0 जमानुल्लाह एवं अताउल्लाह ने घर पर लगी वाहन को तोड़फोड़ दिया एवं 30000 रूपया ले लिया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक उपरोक्त थाना कांड संख्या में दिनांक 12.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक का कोई जमानत आवेदन ना तो किसी उच्च न्यायालय में

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम, दरभंगा

पीठासीन : आदि देव

जमानत आवेदन संख्या–687 / 2026

(मो0 एहसानुल्लाह उर्फ लाडले बनाम राज्य सरकार)

दाखिल किया गया है और ना ही कोई जमानत आवेदन लंबित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद का प्रतिवाद सिंघवाड़ा थाना कांड संख्या 154 / 2026 दर्ज है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गलत, बेबुनियाद एवं तथ्य से परे है। आवेदक न्यायालय के संतुष्टि पर बंध पत्र देने को तैयार है। अतः आवेदक को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाए।

5. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया तथा जमानत आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया गया।

6. अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। इस वाद के जख्मी न्यायालय में उपस्थित होकर सुलहनामा के तथ्य को रखी और कहा कि उभय पक्ष में सुलह हो चुका है। सुलहनामा आवेदन अभिलेख पर है। आवेदक दिनांक 12.07.2026 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है। सह अभियुक्त मो0 जमानुल्लाह उर्फ अच्छे को जमानत की सुविधा मिल चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक **मो0 एहसानुल्लाह उर्फ लाडले** को **10,000 / –रूपया** के दो जमानतदारों के साथ समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर न्यायालय विद्वान ए0सी0जे0एम0, सप्तम, दरभंगा के संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित एवं त्रुटिशोधित

ह0 / –
(आदि देव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम,
दरभंगा।